

स्थानांतरण के लिये सरकार को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का नरिदेश

चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड राज्य सरकार को एक महीने के भीतर अपने परचालन को नैनीताल से बाहर ले जाने अर्थात् स्थानांतरण के लिये एक नई साइट का पता लगाने का नरिदेश दिया है, यह कहते हुए कथिह कदम जनता के सर्वोत्तम हति में है।

मुख्य बदि:

- न्यायालय ने रजसिद्दर जनरल को इस मुद्दे पर अधविक्ताओं और आम जनता से सुझाव लेने के लिये एक पोर्टल बनाने का भी नरिदेश दिया।
- उच्च न्यायालय को हलदवानी के गौलापार में स्थानांतरति करने के राज्य सरकार के पूरव पूरस्ताव पर, उच्च न्यायालय ने कहा कइस उद्देश्य के लिये नरिधारति भूमि में 75% वन क्षेत्र था और क्षेत्र में नरिमाण से वनों की कटाई होगी।
 - उच्च न्यायालय ने इसके स्थानांतरण और सुवधाओं के लिये आवश्यक भूमि के पूरकार हेतु कुछ सफिकारशें भी कीं, जनिमेंन्यायाधीशों, न्यायकि अधकारियों, कर्मचारियों तथा न्यायालय ककर्षों के लिये उचति आवास शामिल हैं।
 - परसिर को स्थानांतरति करने के उच्च न्यायालय के नरिणय का बार एसोसिएशन ने काफी वरिोध कथिा है।

भारतीय वधिज्ज

- परचिय
 - भारतीय वधिज्ज परषिद भारतीय बार को वनियमति करने और पूरतनिधित्व करने के लिये अधविक्ता अधनियम, 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक संवधिकि नकियाय है।
- वनियामक कार्य:
 - अधविक्ताओं के लिये पेशेवर आचरण और शषिटाचार के मानक नरिधारति करना।
 - अनुशासनात्मक काररवाइयों के लिये पूरक्रियाएँ स्थापति करना।
 - भारत में वधिकि शकिषा के लिये मानक नरिधारति करना और योग्य कानून डगिरी को मान्यता अन्य दयतिव:
 - अधविक्ताओं के अधकारिों, वशिषाधकारिों और हतिों की रकषा करना।
 - चतिों के लिये कानूनी सहायता का आयोजन करना।
 - वधिज्ज परषिद के सदस्यों के लिये चुनाव आयोजति करना।
 - कसिी भी मामले से नपिटना जो राज्य वधिज्ज परषिद द्वारा उसे भेजा जा सकता है।